जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा।

—: सूचना :—

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता की योजना

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (गव्य विकास) झारखण्ड, राँची के पत्रांक 08 (रा0), दिनांक 26.08.2016 के आलोक में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगतिशील दूध उत्पादकों एवं डेयरी उद्यमियों को उनके दूध उत्पादन व्यवसाय के विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु सहायता की निम्नलिखित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है, जिसके लिये प्रगतिशील दुग्ध उत्पादकों एवं डेयरी उद्यमियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है :

(राशि रू0 में)

क्र॰ सं॰	कार्य विवरण	क्षमता	प्रति यूनिट लागत	अनुदान प्रतिशत	यूनिट सं॰	कुल अनुदान राशि
1	नए पशु शेड का निर्माण	50 दुधारू पशु	17,50,000	25%	10 यूनिट	43,75,000
2	पुराने पशु शेड का जीर्णोद्धार	50 दुधारू पशु	7,50,000	25%	20 यूनिट	37,50,000
3	मिल्कींग मशीन	4 बकेट	1,20,000	50%	10 यूनिट	6,00,000
		2 बकेट	65,000	50%	10 यूनिट	3,25,000
		1 बकेट	50,000	50%	20 यूनिट	5,00,000
4	पनीर एवं खोआ मेकिंग यूनिट	1 सेट	1,00,000	50%	20 यूनिट	10,00,000
5	क्रीम सेपरेटर	165 ली॰/घंटा	25,000	50%	10 यूनिट	1,25,000
		300 ली॰/घंटा	40,000	50%	5 यूनिट	1,00,000
6	कोल्ड चेन व्यवस्था (डीप फ्रीज सहित)	—	2,00,000	25%	10 यूनिट	5,00,000
7	जैवीक खाद यूनिट	—	20,000	50%	100 यूनिट	10,00,000
8	डीप बोरिंग	—	2,50,000	50%	20 यूनिट	25,00,000
9	साइलेज निर्माण हेतु बायोमास बंकर	—	1,00,000	50%	50 यूनिट	25,00,000
10	बल्क मिल्क कूलर	2000 ली॰	9,00,000	25%	1 यूनिट	2,25,000
		1000 ली॰	8,00,000	25%	2 यूनिट	4,00,000
		500 ली॰	7,00,000	25%	5 यूनिट	8,75,000
11	मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट पार्लर	—	2,00,000	50%	10 यूनिट	10,00,000
12	काउ मैट (Cow mat)	6.5' x4'	5200/गाय	50%	2000 गाय	52,00,000
13	फॉडर गोदाम	3000 वर्गफीट	25,00,000	25%	5 यूनिट	31,25,000
14	ट्रैक्टर एवं फॉडर हारवेस्टर–सह –कटर एवं ब्लॉक मेकिंग यूनिट	—	15,00,000	25%	5 यूनिट	18,75,000
कुल योग —						**2,99,75,000**

उपर्युक्त योजनाओं का लाभ लेने हेतु इच्छुक प्रगतिशील डेयरी कृषक जिला गव्य विकास कार्यालय, सोनपुरवा, गढ़वा से निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर वांछित सूचनाएँ भर कर जिला गव्य विकास पदाधिकारी को दिनांक 10.12.2016 तक समर्पित करेंगे। इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विण्डो सेन्टर के माध्यम से भी आवेदन दिया जा सकता है।

योजना अन्तर्गत देय लाभ निम्नलिखित शर्तों पर उपलब्ध करायी जायेगी :

1. लाभुकों के चयन में योजना बनाओ अभियान के लाभुकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. इस योजना का कार्यान्वयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा।

3. इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र में कार्यरत/चिन्हित दूध पथों पर अवस्थित गाँवों में क्रियान्वित किया जायेगा।

4. दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्य, दुधारू मवेशी वितरण के लाभुक तथा कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले ग्रामीण पशुपालकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

5. लाभुकों के चयन में ग्राम पंचायत की अनुशंसा अनिवार्य होगी।

6. लाभुक अंशदान की राशि के लिये लाभुक के द्वारा बैंक ऋण अथवा स्वयं के पास उपलब्ध निधि का उपयोग किया जायेगा।

7. इस कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न मदों के तहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु चयनित लाभुकों द्वारा इस आशय का घोषणा/एकरारनामा पत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा कि उनके द्वारा उत्पादित Surplus दूध की आपूर्ति यथासम्भव झारखण्ड मिल्क फेडरेशन/ सम्बन्धित जिला दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में उनके नियंत्रणाधीन संचालित दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को की जायेगी।

8. इस योजना के अन्तर्गत ऐसे चयनित लाभुक, जो भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभाग/जिला प्रशासन से पूर्व में लाभान्वित हुए हैं, उन्हें समान परिसम्पत्ति के लिए अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

9. इस योजना के स्वीकृत मद अन्तर्गत लाभुकों द्वारा परिसम्पत्तियों/सामग्रियों/ प्लान्ट एवं मशीनरी का क्रय विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता (मेक/विशिष्टियाँ) के अनुरूप मुक्त बाजार के अधिकृत विक्रेता से किया जायेगा।

10. आम सूचना का निर्धारित लक्ष्य राज्य स्तर पर है।

11. इस सूचना को गढ़वा जिला के वेबसाईट http://www.garhwa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

लाभुकों का अन्तिम रूप से चयन जिला स्तर पर उपायुक्त गढ़वा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

23/11/2016

जिला गव्य विकास पदाधिकारी,
गढ़वा।